Pankaj Kumar
I.A.S.
पंकज कुमार
भा.प्र.से.

सत्यमेव जयते

Managing Director
Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited
Patna - 800 001
प्रबंध निदेशक
बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड
पटना-800001

पत्रांकः.02:15:20(अधि0)/2018- 12577 दिनांक- 07/12/18

सेवा में, सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः– खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत धान/सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के संबंध में।

प्रसंगः– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के पत्रांक–5370 दिनांक–22.11.2018, निगम मुख्यालय का आदेश ज्ञापांक–11853 दिनांक–20.11.2018 एवं पत्रांक–11997 दिनांक–24.11.2018, मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक–5423 दिनांक–26.11.2018।

महाशय्

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का संदर्भ लेना चाहेगें, जिसमें जिला पदाधिकारियों को धान एवं सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण के साथ–साथ अन्य विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति की विशेष शक्ति प्रदत्त की गयी है। सी0एम0आर0 की प्राप्ति एवं उसका समुचित उठाव कर जनवितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु वरीय उप समाहर्त्ता, (अधिप्राप्ति) का प्रावधान किया गया है। विगत वर्षो के अधिप्राप्ति कार्यक्रम के अनुभव के आधार पर यह आवश्यक है कि अधिकाधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले एवं वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्यान्तर्गत अन्त्योदय एवं पूर्वीक्ता प्राप्त लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण चावल की आपूर्ति जनवितरण प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित हो।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से सी0एम0आर0 केन्द्रों को अधिसूचित करते हुए उपलब्ध कर्मियों को समानुपातिक रुप से उन्हें केन्द्रों पर पदस्थापित किया गया है, तथापि आवश्यकतानुसार जिला स्तर से पदाधिकारी एवं कर्मियों का पदस्थापन आपके स्तर से किया जाना होगा, जिसमें जनवितरण प्रणाली यथा–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक एवं सहायक प्रबंधक (जनवितरण गोदाम) को अधिप्राप्ति कार्य में सीधे तौर पर लगाना श्रेष्यकर नहीं होगा, क्योकि सरकार द्वारा निगम से जिला स्तर एवं गोदाम स्तर तक अधिप्राप्ति एवं जनवितरण प्रणाली कार्य अलग–अलग रखने का निर्णय लिया गया है।

निगम स्तर से ज्ञापांक–11853 दिनांक–20.11.2018 द्वारा सी0एम0आर0 गोदामों को अधिूसचित करते हुए नियमित सहायक प्रबंधक का पदस्थापन एवं ज्ञापांक–11998 दिनांक–24.11.2018 द्वारा गुणवत्ता नियंत्रक का पदस्थापन किया गया है। कर्मियों की कमी के कारण कुछेक जिलों में गुणवत्ता नियंत्रक का पदस्थापन नहीं हो पाया है। संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति गुणवत्ता नियंत्रक के रुप में किया जायगा। जिला पदाधिकारी इस हेतु अबिलम्ब पदाधिकारियों की सूची निगम मुख्यालय को उपलब्ध करायेगें जिससे उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सके।

सी0एम0आर0 की अधिप्राप्ति में मात्रा एवं गुणवत्ता (Quantity and Quality) पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः आपके स्तर से भी अनुश्रवण के समय सी0एम0आर0 की मात्रा एवं उसके गुणवत्ता का नियमित समीक्षा आवश्यक होगा एवं समय–समय पर सी0एम0आर0 गोदाम का निरीक्षण एवं सत्यापन भी वरीय पदाधिकारियों से कराया जाना श्रेष्यकर होगा, ताकि किसी प्रकार की कमी का आंकलन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे दूर किया जा सके।

M.K. part-2

निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैः–

(1) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक–5370 दिनांक–22.11.2018 के द्वारा निर्गत कार्ययोजना/मार्गनिदेश के कंडिका–"2" के साथ बिन्दु "17" पर स्पष्ट रुप से उल्लेखित है कि किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित कोई धान या सी0एम0आर0 की अधिप्राप्ति या भुगतान नहीं किया जायगा।

(2) विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था में उच्च पारदर्शिता एवं ई–गवनेन्सि की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया Online होगी। सभी प्रकार का भुगतान PFMS अन्तर्गत होगी। भौतिक रुप से गुणवत्तापूर्ण प्राप्त सी0एम0आर0 का ही भुगतान हो, इसलिए अधिप्राप्ति e-Procurement एवं PFMS का भी समय–समय पर अनुश्रवण एवं समीक्षा जिला टॉस्क फोर्स की बैठक में किया जाना अपेक्षित है।

(3) जिला स्तर पर धान/सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति कार्य की अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति करेगें एवं स्वंय जिलान्तर्गत धान अधिप्राप्ति का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निरीक्षण करना सुनिश्चित किया जायगा ताकि सी0एम0आर0 की अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बनी रहें।

(4) निगम मुख्यालय के पत्रांक–1647 दिनांक–17.02.2018 से सी0एम0आर0 का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण करने के संदर्भ में विस्तृत दिशानिदेश दिया गया है। जिला प्रबंधक अपने जिलान्तर्गत कम से कम एक बार सभी सी0एम0आर0 गोदाम का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण करना सुनिश्चित करेगें। जिला प्रबंधक यदि उचित समझेगें तो दो या तीन सहायक प्रबंधक की एक टीम गठित कर भी भौतिक सत्यापन करा सकते है।

(5) विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत सी0एम0आर0 का निर्गमन प्रथम आगत–प्रथम निर्गत (FIFO) सिद्धान्त का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायगा। सिर्फ GPS एवं लोड सेल युक्त वाहन का ही सी0एम0आर0 के उठाव में उपयोग करना अपरिहार्य होगा एवं इसका पर्यवेक्षण/अनुश्रवण जन–वितरण अन्न पर्यवेक्षण कवच के माध्यम से किया जागया।

(6) निगम मुख्यालय के पत्रांक–998 दिनांक–29.01.2018 में सन्निहित प्रावधानानुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मानक के अनुरुप सी0एम0आर0 लॉटवार (270 क्वी0) प्राप्त किया जाना है। बिना भौतिक रुप से सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों में प्राप्त सी0एम0आर0 की (ऑनलाईन) प्रविष्टि एवं प्राप्ति नहीं किया जायगा।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के साथ ही प्रासंगिक पत्रों में उल्लेखित दिशानिदेश के तहत् सी0एम0आर0 की अधिप्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन करना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

7/12/2018

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः–02:15:20(अधि0)/2018 12577 दिनांक– 07/12/18

प्रतिलिपिः–सभी जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/12/2018

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः–02:15:20(अधि0)/2018 12577 दिनांक– 07/12/18

प्रतिलिपिः– अपर सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

7/12/2018

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः–02:15:20(अधि0)/2018 12577 दिनांक– 07/12/18

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/12/2018

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः–02:15:20(अधि0)/2018 12577 दिनांक– 07/12/18

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव,सहकारिता विभाग,बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/12/2018

प्रबंध निदेशक।

M.K. part-2